

प्रपत्र — 2

परिशिष्ठ

परियोजना का नामः— नगरासू पेयजल योजना

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1.

- क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव
/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त
विवरण।
- ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि — संलग्न है।
और उसके आस-पास के वनों की
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।
- ग) परियोजना की लागत। — रु0 300.20 लाख
- घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने
का औचित्य।
- ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये
जानेके लिए)

च) रोजगार जिनके पैदा होने की
संभावना है।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार
विवरण:

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का
विवरण, यदि कोई है

क) परिवारों की संख्या — लागू नहीं

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के
परिवारों की संख्या

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने
के लिए) — नहीं

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1980
के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?
(हाँ / नहीं)
- हॉ
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके
अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक
वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य
सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के
अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र
आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता
(वचनवद्धता संलग्न की जाये)
- लागू नहीं
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण
पत्रों/दस्तावजेजों का व्यौरा।
-

दिनांक 1/11/2021

स्थान कुटुंबाग

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम

मोहर

अधिकारी अभेयन्ता:

निर्माण शमखा

उत्तराखण्ड पेयजल निगम

रुद्रगांग

प्रस्ताव की कम संख्या.....

प्रपत्र - 2.1

परियोजना का नाम:- नगरासू पेयजल योजना

भाग - ।।

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7. परियोजना / स्कीम का स्थान

i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड
ii)	जिला	रुद्रप्याग
iii)	वन प्रभाग	रुद्रप्याग
iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	०.१८७५ है
v)	वन की कानूनी स्थिति	०.१२७५ है
vi)	हरियाली का घनत्व	०.०६ है
vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणाम (संलग्न की जाए)। सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक०आर०एल० - ८ मी० पर परिणाम भी संलग्न किए जाए	०.४ - ०.५ स्कीम में संलग्न है,
viii)	भूक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	भूक्षण की सम्भावना नहीं है,
ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	२२.३ किमी।
x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयों अनुबन्धित की जाए)	नहीं।
xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हाँ / तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	नहीं।

8— प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

9— क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं।

10— प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित

प्रस्तावित मार्ग देतु लीन
सर्वसम्मुख उपलब्ध है
अपरिहार्य और न्यूनतम्,
लागू नहीं

संलग्न,

संलग्न,

संलग्न,

संलग्न,

संलग्न,

संलग्न,

वन प्रभाग रद्दप्रयाग,

1984 करि किमी,

1790.995 करि किमी

219 प्रकरण 919.349 हूँ

1510.211 हूँ

X

2021 तक प्रतिपूरक वनीकरण

में हुयी प्रगति

(क) वन भूमि पर 404.137 हूँ

(ख) वनेत्तर भूमि पर 1106.074 हूँ

1510.211 हूँ

13— प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने
के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

दिनांक 17/06/2022

स्थान रद्दप्रयाग

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर

उपर्युक्त संरक्षक
रद्दप्रयाग वन प्रभाग
रद्दप्रयाग

परियोजना का नाम:- नगरासू पेयजल योजना

भाग— || |

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 14— स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है
क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण
किया है? (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की
तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट
के रूप में संलग्न करें।
- 15— क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग—ख में दी गयी
सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से
सहमत है।
- 16— प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में
सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों
के साथ विशेष सिफारिशें।

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

तिथि.....

स्थान.....

प्रपत्र -2.3

परियोजना का नामः— नगरासू पेयजल योजना

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17— टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने
या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की
विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक
अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल
टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय
और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि :

स्थान :

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

प्रपत्र-2.4

परियोजना का नामः— नगरासू पेयजल योजना

भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी
जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

18— राज्य सरकार की सिफारिशः

(उपर्युक्त भाग— || या भाग— || | या
भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

तिथि :

स्थान :

हस्ताक्षरः

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर